प्र०सं० 56/2017

14-3-17

वाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 24-5-17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

24.5.17 पत्रावली पेश उप[illegible]
उपस्थित: [illegible] अधिकार [illegible]
राज. नायब [illegible]
दिनांक [illegible]5.17 को पेश हो।
[illegible]
आदेश से पेश

11/5/17 पत्रावली कैम्प कोर्ट/न्याय आपके इजलास में प्रस्तुत हुई। वादी मय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या ① व ③ उपस्थित। प्रतिवादी सं ② अनुपस्थित। प्रति सं ② के खिलाफ एक्स पार्टी किया जाकर पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जायेगा। पत्रावली संख्या से कम होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 56/2017

1. भैरू पिता धीसा जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. देउ पुत्री धीसा जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रतनी पुत्री धीसा जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नानी बेवा धीसा जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सुरेश पुत्र गोपी जाट, नाबालिग जरिये सरक्षंक माता नोसर बेवा गोपी जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नोसर पत्नी गोपी जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पिता लोभदास वैष्णव, निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सुमेर सिंह पिता मीठु सिंह राजपूत, निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामसिंह पिता केशर सिंह राजपूत, निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 11.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू
–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम
ओझागर, पटवार क्षेत्र रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 846, 847 कुल
किता 02 कुल रकबा 05–15 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण
एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद
उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना
चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई।
विपक्षीगण संख्या 01 व 03 उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 02 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक
तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया
गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी
कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का
अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते
हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओझागर
पटवार क्षेत्र रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 846, 847 कुल किता 02 कुल
रकबा 05–15 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में
उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे।
प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 600/– अक्षरे छः सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद
में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर
भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना
रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 11.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा